

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी

धारा 4(1) बी

(i) छत्तीसगढ़ शासन अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2004 के अनुसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनसंचार तथा इससे जुड़े विषय, अध्ययन शाखा तथा अध्ययन क्षेत्रों में अध्यापन, प्रशिक्षण, विद्या और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय रायपुर है।

1. विश्वविद्यालय को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनसंचार तथा इससे जुड़े ऐसे विषय, अध्ययन शाखायें एवं अध्ययन क्षेत्र जो इन क्षेत्रों के आवश्यक तथा उपयोगी हो एवं जो इससे संबद्ध हों के लिये अध्यापन, प्रशिक्षण, विद्या और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करना,
2. उपरोक्त क्षेत्रों को आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये व्यवसायिक मानव शक्ति तैयार करना,
3. अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में संचार के लिये समुचित प्रौद्योगिकी विकसित करना,
4. एक विशिष्टता वाले उद्यमी का विकास करना,
5. समाज के उपान्तस्थ वर्गों विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान देना।
6. उपर वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये समस्त आवश्यक उपाय करना।

(ii) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी है :-

1. कुलाधिपति
2. कुलपति
3. कुलसचिव
4. वित्ताधिकारी
5. विश्वविद्यालय की सेवा के अन्य अधिकारी जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

(iii) विश्वविद्यालय की गतिविधियों के नियोजन, पर्यवेक्षण, नियोजन तथा दायित्वों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार प्राधिकारी निकाय प्रावधानित है।

1. कार्यपरिषद्
2. विद्यापरिषद्
3. वित्त-समिति
4. संकाय/स्कूल
5. अध्ययन मंडल
6. ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएँ।

(iv) परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम में निर्दिष्ट पर किये गये उल्लेख के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी कार्यों का निष्पादन करते हैं।

(v) विश्वविद्यालय में परिनियम क्र. 01 से 28 तक लागू है। अध्यादेश क्र. 01 से 18 तक लागू है। विनियम क्र. 01 से 05 तक लागू है। (सूची संलग्न है।) इनकी सूचनाये अधिसूचना के माध्यम से सूचना पटल से सम्बन्धितों को दी जाती है। सभी परिनियम, अध्यादेश, विनियम विश्वविद्यालय जनसूचना अधिकारी के पास अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

(vi) अभी तक इस विश्वविद्यालय में स्थापित विभागों का विवरण जिनके नियंत्रण में दस्तावेजों को रखा जाना निहित किया गया है, निम्नानुसार है—

प्रशासनिक विभाग

क्रं.	विभाग	कार्य
1.	प्रशासन एवं स्थापना	विश्वविद्यालय स्थापना, नियुक्तियों तथा अधोरचना विकास संबंधित दस्तावेज
2.	वित्त विभाग	वित्तीय प्रबंधन, केश बुक, व्हाउचर तथा बजट।
3.	नामांकन एवं परीक्षा विभाग	प्रवेश, नामांकन एवं परीक्षा संबंधी समस्त कार्यों का संपादन
4.	गोपनीय विभाग	प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम तैयार करना।
5.	अकादमिक विभाग	पाठ्यक्रमों का निर्माण, महाविद्यालयों की सम्बद्धता, पात्रता, प्रकाशन तथा शोध गतिविधियाँ।
6.	भंडार विभाग	विश्वविद्यालय की समस्त चल अचल सम्पत्ति का रखरखाव तथा वितरण, भंडार सामग्री का क्रय।
7.	छात्रकल्याण विभाग	छात्र कल्याण से सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ, अनु.जाति/अनु.जनजाति सेल, छात्रों को मार्गदर्शन।
8.	यांत्रिकी विभाग	परिसर विकास।

शैक्षणिक विभाग

क्रं.	विभाग	कार्य
1.	पत्रकारिता विभाग	विश्वविद्यालय में संचालित पत्रकारिता पाठ्यक्रम।
2.	जनसंचार विभाग	विश्वविद्यालय में संचालित जनसंचार पाठ्यक्रम।
3.	विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग	विश्वविद्यालय में संचालित विज्ञापन एवं जनसंपर्क पाठ्यक्रम।
4.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारिता विभाग	विश्वविद्यालय में संचालित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाठ्यक्रम।
5.	प्रबंध अध्ययन	विश्वविद्यालय में संचालित प्रबंध अध्ययन पाठ्यक्रम
6.	पुस्तकालय	विश्वविद्यालय में पुस्तकालय से संबंधित कार्य।
7.	प्रयोग शाला	विश्वविद्यालय में प्रयोग शालाओं से संबंधित कार्य।

(vii) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् में जनप्रतिनिधियों के रूप में छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्यों का समावेश है जिनके नाम निम्नानुसार हैं:—

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्रीमती निलिमा सिंह टेकाम
3. श्री नंदकुमार साहू

(viii) विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकारी निकायों में अधिनियम के प्रावधानानुसार सदस्यता का प्रावधान है। इन निकायों के कार्यवाही विवरण नियमानुसार अवलोकन हेतु उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

(ix) सूची संलग्न है। (संलग्नक 4)

(x) छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार।

(xi) विभिन्न मदों पर प्रस्तावित व्यय का विवरण बजट वर्ष 2009-10 में दिया गया है जो विश्वविद्यालय के जनसूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है।

(xii) विश्वविद्यालय द्वारा फिलहाल कोई सबसिडि कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है।

(xiii) जानकारी निरंक।

(xiv) विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी वेबसाइट www.ktujm.ac.in पर उपलब्ध है।

(xv) सूचनाएं प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा-

1. सूचना पटल
 2. सार्वजनिक घोषणा
 3. वेबसाइट
 4. स्वागत कक्ष
- विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जानकारी 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

(xvi) लोक सूचना अधिकारी के नाम-

क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	अन्य विवरण
1.	श्री संजय शर्मा (सहायक जनसूचना अधिकारी)	उप-कुलसचिव	माह दिसम्बर 2007 से उप-कुलसचिव पद पर कार्यरत्।
2.	डॉ. डी. एन. वर्मा (जनसूचना अधिकारी)	कुलसचिव	माह फरवरी 2007 से कुलसचिव पद पर कार्यरत्।
3.	श्री सच्चिदानंद जोशी (अपीलीय अधिकारी)	कुलपति	माह मार्च 2005 से कुलपति पद पर कार्यरत्।

KUSHABHAU THAKRE
PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR VISHWAVIDYALAYA
RAIPUR [CHHATTISGARH]

LIST OF STATUTES

Statute NO.	DETAILS
1	TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE KULPATI
2	THE REGISTRAR-HIS EMALUMENTS AND CONDITIONS OF SERVICE, POWERS AND DUTIES
3	OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY, CONDITIONS OF SERVICE, POWERS AND DUTIES
4	FUNCTIONS AND DUTIES OF FINANCE OFFICER
5	ADMISSION OF COLLEGES TO THE PRIVILEGES OF THE UNIVERSITY AND WITHDRAWAL THEREOF AFFILIATION OF COLLEGES
6	COLLEGE CODE
7	ANNUAL REPORT
8	QUALIFICATION OF TEACHERS IN THE AFFILIATED COLLEGES
9	APPOINTMENT OF EXAMINER
10	SCHOOL OF STUDIES & CENTRES
11	BOARD OF STUDIES
12	FACULTY
13	CONSTITUTION AND POWERS OF THE FACULTY
14	APPOINTMENT OF DEAN
15	POWERS OF THE BOARD OF STUDIES
16	QUALIFICATION OF STUDENT MEMBERS OF BOARD OF STUDIES
17	CONDITIONS OF SERVICE FOR UNIVERSITY EMPLOYEES
18	PROVIDENT FUND
19	ADMINISTRATION OF ENDOWMENTS
20	BUILDING COMMITTEE
21	CONSTITUTION OF BUREAU FOR PUBLICATION AND TRANSLATION
22	WITHDRAWAL OF DEGREES DIPLOMAS, CERTIFICATES AND OTHER ACADEMIC DISTINCTIONS
23	CONVOCATION
24	SENIORITY OF TEACHERS OF THE UNIVERSITY
25	SENIORITY OF HEADS OF DEPARTMENT IN AFFILATED COLLEGES
26	PREPARATION AND MAINTENANCE OF SENIORITY LISTS
27	THE DEAN OF STUDENTS WELFARE-TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE, POWERS AND DUTIES
28	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर में रेगिंग प्रथा रोकने के लिये परिनियम

KUSHABHAU THAKRE
PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR VISHWAVIDYALAYA
RAIPUR [CHHATTISGARH]

LIST OF ORDINANCE

Ordinance NO.	DETAILS
1[A]	MASTER OF JOURNALISM (MJ)
1[B]	MASTER OF ARTS (MA(APR))
1[C]	BACHELOR OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION (BJMC)
2	QUALIFICATIONS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF TEACHERS IN UNIVERSITY TEACHING DEPARTMENTS AND SCHOOL OF STUDIES
3	CONDUCT OF EXAMINATIONS
4	EXAMINATIONS (GENERAL)
5	ADMISSION OF STUDENTS TO A COLLEGE/UNIVERSITY TEACHING DEPARTMENT OR SCHOOL OF STUDIES
6	ENROLMENT OF STUDENTS AND THEIR ADMISSION TO COURSES OF STUDY
7	TRAVELLING ALLOWANCE AND DAILY AND ALLOWANCE OTHER THAN OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY
8	MASTER OF ARTS IN MASS COMMUNICATION (MAMC)
9	P.G. DIPLOMA IN CORPORATE COMMUNICATION (PGDCC)
10	P.G. DIPLOMA IN JOURNALISM (PGDJ)
11	FEES
12	MASTER OF SCIENCE IN ELECTRONIC MEDIA M.Sc.(E.M.)
13	M.B.A.
14	DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.)
15	P.G. DIPLOMA IN DIGITAL VIDEO PRODUCTION
16	THE CONDITIONS OF THE AWARD OF FELLOWSHIPS/ SCHOLARSHIP
17	HEAD OF UNIVERSITY TEACHING DEPARTMENT/SCHOOL OF STUDY /INSTITUTES/ACADEMIC UNITS
18	मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति

KUSHABHAU THAKRE
PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR VISHWAVIDYALAYA
RAIPUR [CHHATTISGARH]

LIST OF REGULATION

Regulation NO.	DETAILS
1	PROCEDURE FOR THE CONDUCT OF THE MEETINGS OF THE EXECUTIVE COUNCIL
2	PROCEDURE FOR THE CONDUCT OF THE MEETINGS OF THE ACADEMIC COUNCIL
3	वित्तीय विनियम
4	UNIVERSITY LIBRARY REGULATIONS
5	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सीधी भर्ती तथा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता/मापदण्ड तथा पदोन्नति विनियम।

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	अन्य विवरण
1.	श्री सच्चिदानंद जोशी	कुलपति	माह मार्च 2005 से कुलपति पद पर कार्यरत् ।
2.	डॉ. डी. एन. वर्मा	कुलसचिव	माह फरवरी 2007 से कुलसचिव पद पर कार्यरत् ।
3.	श्री संजय शर्मा	उप-कुलसचिव	माह दिसम्बर 2007 से उप-कुलसचिव पद पर कार्यरत् ।